न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 52 / 2021

हंसराज पुत्र कृष्णदास, जाति स्वामी, निवासी नेता की ढाणी, वार्ड नं0 24 झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. इमरान पुत्र ईकबाल
2. आदिल पुत्र ईकबाल
3. इस्माईल पुत्र ईकबाल
4. नदीम पुत्र ईकबाल
5. लतीफ पुत्र ईकबाल
6. अमजद पुत्र ईकबाल
7. अफसाना बानो पुत्री ईकबाल
8. राबिया पत्नी ईकबाल

   समस्त जातिगण तेली मुसलमान, निवासीगण खोरा मोहल्ला, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
9. लीला देवी पत्नी विक्रम देव, जाति माली, निवासी इन्दु होस्पीटल के सामने गली मे, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
10. विनोद पुत्र श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी समसपुर रोड, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
11. श्यामसुन्दर मोदी पुत्र नन्दलाल, जाति महाजन, निवासी झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
12. तहसीलदार महोदय, झुंझुनूं, तहसील कार्यालय झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

––

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 4257 दिनांकित 20.08.2020

––

1. श्री कमल कुमारशर्मा, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री नफीस अहमद, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 8 की ओर से उपस्थित।
3. श्री शंकरलाल मीणा, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 9 की ओर से उपस्थित नही।
4. श्री जितेन्द्र निर्मल, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 11 की ओर से उपस्थित नही।
5. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– राज्य सरकार (रेस्पो0 सं0 12) की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:39 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 21.03.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0आ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तरकरण संख्या 4257 दिनांक 20.08.2020 भूमि कस्बा झुंझुनूं के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0आ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0आ0 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अपीलान्ट की ओर से अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न प्रकार पेश है कि कस्बा झुंझुनूं पटवार हल्का झुंझुनूं

कस्बा के समसपुर रोड पर कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 2298, 2299, 2300 कुल किता 3 कुल रकबा 3.72 हैक्टर में कृषि भूमि का खातेदार ईकबाल पुत्र खेरूदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं0 32 झुंझुनूं ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का विकास कर उक्त भूमि में आवासीय कॉलोनी बनाने के उद्देश्य से प्लॉट काटे थे जिसमें कुल 34 प्लॉट काटकर बीच में रास्ता 40 फीट का छोडा था। उक्त खातेदार स्व0 ईकबाल ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि को विस्तारित कर भूमि का अलग–अलग भूखण्डो में विक्रय किया। दिनांक 23.06.2016 को इकबाल ने अपीलान्ट के नाम अपने खेत खसरा नम्बरान की भूमि में से 0.11 हैक्टर भूमि का विक्रय पत्र उप पंजीयक झुंझुनूं में तस्दीक व तकमील करवाकर दी थी दिनांक 06.07.2016 को अपने खेत खसरा नम्बरान की भूमि में से 0.11 हैक्टर भूमि का विक्रय पत्र अपीलान्ट के हक में उप पंजीयक झुझुनू मं तस्दीक व तकमील करवाकर दिया था तथा दिनांक 14.07.2017 को एक मुख्तयार खास हंसराज अपीलान्ट के नाम से उप पंजीयक झुझुनू में दिनांक 17.07.2017 को उक्त भूमि का 0.1542 हैक्टर हिस्से की भूमि का मुख्तयार खास बनाकर दिया जिस पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 बतौर गवाह हस्ताक्षर है। उक्त ईकबाल ने मुख्तयार खास हंसराज को उक्त जमीन का हिस्सा 0.1542 हैक्टर के विक्रय निष्पादन करवाने का हक अधिकार प्रदत किया था जिसमें लिखा था कि ईकबाल पुत्र खेरूदीन ने अपने हक हिस्से की 8.23 बीघा खास भूमि में प्लॉटिंग करने के कारण 40 फीट का रास्ता ईकबाल ने रास्ते के रूप में कुल 2.23 बीघा खाम जमीन रास्ते के रूप में छोडना दर्ज किया था इसके अलावा यह भी लिखा था कि अपीलान्ट हंसराज को 3 1/2 बीघा खाम जमीन देनी है और कब्जा करा दिया है और समस्त रकम भी प्राप्त कर ली है इसके अलावा 3 1/2 बीघा खाम जमीन की कुल रकम प्राप्त करने के बाद इकरारनामा के रोज दिनांक 17.01.2018 को अपीलान्ट हंसराज से 16 लाख रूपये अग्रिम प्राप्त कर अपनी कब्जे जमीन 2.10 बीघा खाम जमीन में प्लॉटिंग करने बेचान करने का करार करके विक्रय करने का हक अधिकार प्राप्त किये थे इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स मृतक ईकबाल द्वारा किये गये इकरारनामा से पूर्वतया पाबन्द है। उक्त स्व0 इकबाल ने अपीलान्ट को एक लिखावट इकरारनामा दिनांक 22.01.2018 को करके दिया जिसमे उक्त प्लॉटिंग क्षेत्र के रास्ता आम 40 फीट के सन्दर्भ मे भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद रास्ता आम पेटे नही होने बाबत लिखकर निष्पादित करवा दिया था रास्ता आम में 2.23 बीघा जमीन रहेगी। मौके पर खसरा नम्बर 2298, 2299, 2300 कुल किता 3 कुल रकबा 3.75 हैक्टर में पूर्व मृतक खातेदार ईकबाल पुत्र खेरूदीन के हक हिस्से की भूमि पर आवासीय कॉलोनी विस्तारित हो चुकी है और उपरोक्त दर्ज अपील में दर्ज विभिन्न व्यक्ति श्यामसुन्दर महाजन, मन्जू देवी, निर्मला देवी, सुरेन्द्र, विनोद, लीलादेवी, इत्यादि व्यक्तियों के आवासीय भूखण्ड मौजूद है तथा इन व्यक्तियों को अपने–अपने प्लॉट पर भौतिक कब्जा भी है। इस प्रकार मृतक खातेदार ईकबाल के वारिसान का न तो कोई खेत बचा है और ना ही उन्होने इस जमीन को काश्त की है। मृतक ईकबाल के वारिसान उपरोक्त भूखण्डों के बाबत इन्तकाल दर्ज न होने का नाजायज फायदा उठाकर राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से चले आ रहे ईकबाल पुत्र खेरूदीन के स्थान पर अपना नाम गलत रूप से जरिये इन्तकाल संख्या 4257 दर्ज करवा लिया है जो सरासर गलत अवैध एवं विधि विरूद्ध है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल संख्या 4257 तस्दीक करते समय अपीलान्ट व प्लॉटों के स्वामियों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया और ना ही मौके पर जाकर वादग्रस्त जमीन का निरीक्षण किया। यदि इन्तकाल तस्दीक करने वाले अधिकार द्वारा मौके का भौतिक निरीक्षण किया जाता तो अवश्य ही पता चलता की वहां पर उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ [illegible] रहा है ना ही मौके पर काश्त होती है और पूर्व खातेदार ईकबाल के हिस्से की भूमि [illegible] काटे जा चुके है तथा बिजली पानी की लाईने स्थापित हो चुकी है, बिजली [illegible] है भूखण्ड पर पानी की टंकी बनी हुई है रास्ता आम 40 फुट [illegible] बिजली के पोल [illegible] हुये है तथा केतागण अपने मकानात में शान्ति पूर्वक निवास कर रहे है। इसलिए आक्षेपित इन्तकाल निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय/राजस्व अधिकारी ने उपरोक्त इन्तक[illegible] दर्ज करते समय अपीलान्ट व विभिन्न भूखण्डो के स्वामियो को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया, ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई जबकि इन्तकाल तस्दीक करने से पहले अपीलान्ट द्वारा रजिस्ट्री करवाये गये व्यक्तियो को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था तत्पश्चात मौके की स्थिति का अवलोकन किया जाना चाहिए था मौके पर वादग्रस्त भूमि में ईकबाल की हिस्से की भूमि में उसके वारिसान द्वारा कोई काश्त नही की जाती है क्योकि ईकबाल ने अपने जीवनकाल में ही अपनी भूमि को आवासीय भूमि के रूप में विकसित कर प्लॉट काट दिये थे इस प्रकार इन्तकाल संख्या 4257 निरस्त होने योग्य है। दिनांक 23.06.2016 को उक्त ईकबाल ने अपीलान्ट के हक में एक प्लॉट 0.11 हैक्टर भूमि का विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:39 IST
Reason: SelfAttested

पत्र उप पंजीयक झुंझुनूं में निष्पादित करवाकर दिया जिसमें से अपीलान्ट ने अपनी क्रयशुदा प्लॉट में प्लॉट नं0 31 का विक्रय निर्मला देवी पत्नी श्री संदीप कुमार को 183.33 वर्गगज का विक्रय किया, इसी प्रकार प्लॉट नं0 14 को सुमीत्रा देवी पत्नी सुरजाराम जाट को 152.63 वर्गगज का विक्रय किया। ईकबाल ने अपनी उक्त भूमि में समस्त भूमि पर प्लॉट काटकर अपीलान्ट को व अन्य व्यक्तियो को विक्रय कर दी थी उक्त खातेदार के हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर प्लॉट काटकर विक्रय की थी रेस्पोडेन्टस संख्या 9, 10, 11 को छोटे–छोटे भूखण्ड रजिस्टर्ड केता होने पर भूखण्डो का इन्तकाल दर्ज नही हुआ। मौके पर खातेदार की कोई भूमि नही है ना ही उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ रही है मौके पर उक्त भूखण्ड में केताओ के मकानात बना लिये, बिजली पानी का कनेक्शन ले लिया तथा आबादी विस्तार कर रखी है इसलिए भी इन्तकाल संख्या 4257 निरस्त होने योग्य है। मृतक पूर्व खातेदार ईकबाल पुत्र खेरूदीन के वारिसान ने गलत रूप से इन्तकाल अपने नाम तस्दीक करवाया है जबकि मृतक ईकबाल के वारिसान को इन्तकाल तस्दीक करवाये जाने का कोई अधिकार नही था उनके वारिसान मृतक ईकबाल के द्वारा किये गये विक्रय पत्रो, मुख्त्यारनामा, इकरारनामा से पूर्णतया पाबन्द है। जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को नही दी इसलिए गलत रूप से इन्तकाल दर्ज किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 इमरान ने मृतक पूर्व खातेदार ईकबाल के मुख्तयारनामा पर बतौर गवाह हस्ताक्षर किये थे मुख्तयारनामा दिनांक 14.07.2017 के बारे में भली भांति ज्ञान था फिर भी उसने इस तथ्य को छिपाकर यह इन्तकाल अपने नाम तस्दीक करवाया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 4257 दिनांक 20.08.2020 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि कस्बा झुंझुनूं पटवार हल्का झुंझुनूं कस्बा के समसपुर रोड पर कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 2298, 2299, 2300 कुल किता 3 कुल रकबा 3.72 हैक्टर में कृषि भूमि का खातेदार ईकबाल पुत्र खेरूदीन जाति तेली मुसलमान निवासी वार्ड नं0 32 झुंझुनूं ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का विकास कर उक्त भूमि में आवासीय कॉलोनी बनाने के उद्देश्य से प्लॉट काटे थे जिसमें कुल 34 प्लॉट काटकर बीच में रास्ता 40 फीट का छोडा था। उक्त खातेदार स्व0 ईकबाल ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि को विस्तारित कर भूमि का अलग–अलग भूखण्डो में विक्रय किया। दिनांक 23.06.2016 को इकबाल ने अपीलान्ट के नाम अपने खेत खसरा नम्बरान की भूमि में से 0.11 हैक्टर भूमि का विक्रय पत्र उप पंजीयक झुंझुनूं में तस्दीक व तकमील करवाकर दी थी दिनांक 06.07.2016 को अपने खेत खसरा नम्बरान की भूमि में से 0.11 हैक्टर भूमि का विक्रय पत्र अपीलान्ट के हक में उप पंजीयक झुंझुनूं मे तस्दीक व तकमील करवाकर दिया था तथा दिनांक 14.07.2017 को एक मुख्तयार खास हंसराज अपीलान्ट के नाम से उप पंजीयक झुझुनू में दिनांक 17.07.2017 को उक्त भूमि का 0.1542 हैक्टर हिस्से की भूमि का मुख्तयार खास बनाकर दिया जिस पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 बतौर गवाह हस्ताक्षर है। उक्त ईकबाल ने मुख्तयार खास हंसराज को उक्त जमीन का हिस्सा 0.1542 हैक्टर के विक्रय निष्पादन करवाने का हक अधिकार प्रदत किया था जिसमें लिखा था कि ईकबाल पुत्र खेरूदीन ने अपने हक हिस्से की 8.23 बीघा खास भूमि में प्लॉटिंग करने के कारण 40 फीट का रास्ता ईकबाल ने रास्ते के रूप में कुल 2.23 बीघा खाम जमीन रास्ते के रूप में छोडना दर्ज किया था इसके अलावा यह भी लिखा था कि अपीलान्ट हंसराज को 3 1/2 बीघा खाम जमीन देनी है और कब्जा करा दिया है और समस्त रकम भी प्राप्त [illegible] इसके अलावा 3 1/2 बीघा खाम जमीन की कुल रकम प्राप्त करने के बाद इकरारनामा [illegible] दिनांक 17.01.2018 को अपीलान्ट हंसराज से 16 लाख रूपये अग्रिम प्राप्त कर अपनी कब्जे [illegible] 2.10 बीघा खाम जमीन में प्लॉटिंग करने बेचान करने का करार करके विक्रय [illegible] थे इस प्रकार रेस्पोडेन्टस मृतक ईकबाल द्वारा किये गये इकरारनामा से पूर्णतया पाबन्द [illegible] उक्त स्व0 इकबाल ने अपीलान्ट को एक लिखावट इकरारनामा दिनांक 22.01.2018 को करके दिया जिसमे उक्त प्लॉटिंग क्षेत्र के रास्ता आम 40 फीट के सन्दर्भ मे भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद रास्ता आम पेटे नही होने बाबत लिखकर निष्पादित करवा दिया था रास्ता आम में 2.23 बीघा जमीन रहेगी। मौके पर खसरा नम्बर 2298, 2299, 2300 कुल किता 3 कुल रकबा 3.75 हैक्टर में पूर्व मृतक खातेदार ईकबाल पुत्र खेरूदीन के हक हिस्से की भूमि पर आवासीय कॉलोनी विस्तारित हो चुकी है और उपरोक्त दर्ज अपील में दर्ज विभिन्न व्यक्ति श्यामसुन्दर महाजन, मन्जू देवी, निर्मला देवी, सुरेन्द्र, विनोद, लीलादेवी, इत्यादि व्यक्तियों के आवासीय भूखण्ड मौजूद है तथा इन व्यक्तियों को अपने–अपने प्लॉट पर भौतिक कब्जा भी है। इस प्रकार मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:39 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार ईकबाल के वारिसान का न तो कोई खेत बचा है और ना ही उन्होने इस जमीन को काश्त की है। मृतक ईकबाल के वारिसान उपरोक्त भूखण्डों के बाबत इन्तकाल दर्ज न होने का नाजायज फायदा उठाकर राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से चले आ रहे ईकबाल पुत्र खेरूदीन के स्थान पर अपना नाम गलत रूप से जरिये इन्तकाल संख्या 4257 दर्ज करवा लिया है जो सरासर गलत अवैध एवं विधि विरूद्ध है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल संख्या 4257 तस्दीक करते समय अपीलान्ट व प्लॉटों के स्वामियों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया और ना ही मौके पर जाकर वादग्रस्त जमीन का निरीक्षण किया। यदि इन्तकाल तस्दीक करने वाले अधिकार द्वारा मौके का भौतिक निरीक्षण किया जाता तो अवश्य ही पता चलता की वहां पर उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ के रूप में कोई उपयोग नही हो रहा है ना ही मौके पर काश्त होती है और पूर्व खातेदार ईकबाल के हिस्से की भूमि पर भूखण्ड काटे जा चुके है तथा बिजली पानी की लाईने स्थापित हो चुकी है, बिजली पानी के कनेक्शन केताओं ने ले रखे है भूखण्ड पर पानी की टंकी बनी हुई है रास्ता आम 40 फुट पर बिजली के पोल लगे हुये है तथा केतागण अपने मकानात में शान्ति पूर्वक निवास कर रहे है। इसलिए आक्षेपित इन्तकाल निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय/राजस्व अधिकारी ने उपरोक्त इन्तकाल दर्ज करते समय अपीलान्ट व विभिन्न भूखण्डो के स्वामियो को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया, ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई जबकि इन्तकाल तस्दीक करने से पहले अपीलान्ट द्वारा रजिस्ट्री करवाये गये व्यक्तियो को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था तत्पश्चात मौके की स्थिति का अवलोकन किया जाना चाहिए था मौके पर वादग्रस्त भूमि में ईकबाल की हिस्से की भूमि में उसके वारिसान द्वारा कोई काश्त नही की जाती है क्योकि ईकबाल ने अपने जीवनकाल में ही अपनी भूमि को आवासीय भूमि के रूप में विकसित कर प्लॉट काट दिये थे। दिनांक 23.06.2016 को उक्त ईकबाल ने अपीलान्ट के हक में एक प्लॉट 0.11 हैक्टर भूमि का विकय पत्र उप पंजीयक झुंझुनूं में निष्पादित करवाकर दिया जिसमें से अपीलान्ट ने अपनी कयशुदा प्लॉट में प्लॉट नं0 31 का विकय निर्मला देवी पत्नी श्री संदीप कुमार को 183.33 वर्गगज का विकय किया, इसी प्रकार प्लॉट नं0 14 को सुमीत्रा देवी पत्नी सुरजाराम जाट को 152.63 वर्गगज का विकय किया। ईकबाल ने अपनी उक्त भूमि में समस्त भूमि पर प्लॉट काटकर अपीलान्ट को व अन्य व्यक्तियो को विकय कर दी थी उक्त खातेदार के हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर प्लॉट काटकर विकय की थी रेस्पोडेन्टस संख्या 9, 10, 11 को छोटे-छोटे भूखण्ड रजिस्टर्ड केता होने पर भूखण्डो का इन्तकाल दर्ज नही हुआ। मौके पर खातेदार की कोई भूमि नही है ना ही उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ रही है मौके पर उक्त भूखण्ड में केताओ के मकानात बना लिये, बिजली पानी का कनेक्शन ले लिया तथा आबादी विस्तार कर रखी है इसलिए भी इन्तकाल संख्या 4257 निरस्त होने योग्य है। मृतक पूर्व खातेदार ईकबाल पुत्र खेरूदीन के वारिसान ने गलत रूप से इन्तकाल अपने नाम तस्दीक करवाया है जबकि मृतक ईकबाल के वारिसान को इन्तकाल तस्दीक करवाये जाने का कोई अधिकार नही था उनके वारिसान मृतक ईकबाल के द्वारा किये गये विकय पत्रो, मुख्त्यारनामा, इकरारनामा से पूर्णतया पाबन्द है। जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को नही दी इसलिए गलत रूप से इन्तकाल दर्ज किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 इमरान ने मृतक पूर्व खातेदार ईकबाल के मुख्तयारनामा पर बतौर गवाह हस्ताक्षर किये थे मुख्तयारनामा दिनांक 14.07.2017 के बारे में भली भांति ज्ञान था फिर भी उसने इस तथ्य को छिपाकर यह इन्तकाल अपने नाम तस्दीक करवाया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 4257 दिनांक 20.08.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 9 व 11 उपस्थित नहीं। वकील रेस्पोडेन्ट सं0 9 व 11 को बार-बार आवाज लगाई जाकर इनकी अनुपस्थिति में एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 8 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट हंसराज को उसका हिस्सा मिल चुका है। अपीलान्ट हंसराज ने जितनी जमीन कय की थी उतनी जमीन उसके नाम चढ गई थी। विकय पत्र या इकरारनामे को चैंलेज करना है तो वकील अपीलान्ट को सिविल कोर्ट मे चाराजोही करनी चाहिए। अपीलान्ट की अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:39 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा लेकर नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन व वकील रेस्पोडेन्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस से साफ जाहिर है कि अपीलान्ट को सिविल न्यायालये से ही अनुतोष मिल सकता है। अपीलान्ट के हिस्से मे आई जमीन का नामान्तरकरण दर्ज किया जा चुका है। ऐसे मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.06 14:53:39 IST
Reason: SelfAttested